

उत्तराखण्ड शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
संख्या:- ४८ / XXXIV / 2018-31 / 2014
देहरादून: दिनांक: २५ नवम्बर, 2018
कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने तथा अनुकूल व्यवसायी वातावरण बनाने के उद्देश्य से राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2018 को तत्काल प्रभाव से प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

विषय –सूची

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग

अध्याय 1 – परिचय

क. प्रस्तावना

ख. राष्ट्रीय उद्देश्य

ग. सामान्य

अध्याय 2 – उत्तराखण्ड राज्य आईटी नीति

क. विज्ञन

ख. लक्ष्य

ग. मिशन

घ. उद्देश्य

अध्याय 3 – कार्यान्वयन रणनीति

क. रणनीतिक बल

ख. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीति का कार्यान्वयन

ग. एक प्रभावी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना

घ. मानव कौशल का विकास

ड. सुरक्षा

च. आईटी के अंगीकरण तथा ज्ञान उद्योगों को आकर्षित करते हुए औद्योगिक विकास में तेजी लाना

छ. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) नीति का कार्यान्वयन

ज. ग्रामीण बीपीओ, केपीओ उद्योग

झ. डाटा सेंटर और डाटा सेंटर पार्क

अध्याय 4 – प्रोत्साहन

क. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रदान किये गए प्रोत्साहन

ख. राजकोषीय प्रोत्साहन

ग. गैर राजकोषीय प्रोत्साहन

घ. बुनियादी सुविधाओं का समर्थन

अध्याय 5 – अनुश्रवण और निष्पादन

अनुलग्नक – क

संक्षेपों की सूची

अध्याय 1 – परिचय

क. प्रस्तावना

- (एक) सूचना प्रौद्योगिकी, वैशिक अर्थव्यवस्था आधारित ज्ञान के तेजी से अग्रसर होने के प्रमुख संचालक हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्तमान वैशिक स्थिति के अनुसार, भारत उसी अंत तक अपनी क्षमताओं को बढ़ाने, व लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से स्थित है। औद्योगिक तथा विकासशील देश, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गतिवृद्धि और विकास तथा प्रसार के लाभ उठाने हेतु, समान रूप से नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार कर रहे हैं।
- (दो) सूचना प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित होने वाली “मुख्य तकनीकी” है। इसे व्यापक, सामरिक तथा महत्वपूर्ण आंतरिक क्षेत्र भी माना गया है। सभी विकासशील तथा विकसित देशों ने सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को मान्यता दी है और इसके प्रसार को बढ़ाने हेतु, विभिन्न नीतियों का उपयोग व संयुक्त रूप से सार्वजनिक तथा निजी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। विकासशील देशों में यह स्थापित किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा प्रमुख उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, आधरभूत संरचनाओं और सेवाओं के आधुनिकरण, सूचना में कमी को दूर करने तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में लेन-देन की लागत को कम करने की क्षमता है। यह सभी देश, वृहत् आर्थिक निर्णय व नियोजन, लोक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, विनिर्माण, वित्त तथा बैंकिंग, परिवहन, वाणिज्य, प्रकाशन, ऊर्जा संरक्षण तथा पर्यावरणीय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।
- (तीन) प्रमुख आई.टी. हब जैसे, बैंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे तथा एन.सी.आर. क्षेत्र, जोकि भारत में कुल आई.टी. उद्योग का करीब-करीब 90% हिस्सा है, लगभग संतृप्त हैं और अग्रेत्तर विस्तार के लिए, आधरभूत संरचनात्मक चुनौतियों तथा मानव संसाधन की बाधाओं का सामना कर रहे हैं। यह पूर्ण रूप से भारतीय आई.टी. उद्योग के लिए अनिवार्य हो गया है कि वह उत्तराखण्ड राज्य में टियर II तथा टियर III शहरों में, विविधतानुसार स्थापित हों। वैशिक प्रवृत्तियों के अनुरूप, उत्तराखण्ड राज्य के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का लाभ निवासियों तक पहुँचाने के उद्देश्य से, समयानुसार तथा त्वरित उपायों की पहल करे।
- (चार.) संपूर्ण अर्थव्यवस्था में दक्षता की वृद्धि के लिए, आई.टी. आधारित राष्ट्रीय नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, वित्तीय समावेश, रोजगार सृजन, सुशासन, आदि में आ रही क्षणिक विकासीय चुनौतियों को दूर करने हेतु, प्रौद्योगिकी-संक्षम दृष्टिकोणों के उपयोग पर केंद्रित है। उत्तराखण्ड राज्य नीति अपने दो प्रमुख लक्ष्यों, जिसमें आई.टी. की शक्ति को पूर्ण रूप से राज्य के भीतर स्थापित करना और राज्य तथा मानव संसाधन की क्षमता के सदुपयोग, को हासिल करना चाहती है। ताकि 2025 तक आई.टी., आई.टी.ई.एस के लिए उत्तराखण्ड, वैशिक/राष्ट्रीय हब और गंतव्य के रूप में उभरने में सक्षम बन सके।

(पांच) अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में आई.टी.सी. की तैनाती, आई.टी. समाधान प्रदान करने हेतु राज्य में निजी भागीदारों को प्रोत्साहित करने हेतु, सूचना प्रौद्योगिकी नीति का ध्यान प्रमुखता से केन्द्रित है। इस नीति का लक्ष्य राज्य के विभिन्न प्रमुख हितधारकों के समन्वयित अनुयोजन के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

(छ:) आई.सी.टी. के प्रसार के अलावा, भारत सरकार की पहल, 'मेक इन इन्डिया' के अन्तर्गत, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाईयों की स्थापना व उसे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। इससे विभिन्न घटकों की लागत कम हो जाएगी, जिन्हें वर्तमान में पूर्व-आयात किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण प्रमुख हिस्से हैं, जिसमें उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, दूरसंचार उत्पादों और उपकरणों, आई.टी. सिस्टम तथा हार्डवेयर हेतु, अर्धचालक डिज़ायन, उच्च तकनीकी निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक घटक व इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, 1.75 ट्रिलियन अमेरिकी डालर का, विश्व में सबसे बड़ा तथा सबसे तेजी से बढ़ता विनिर्माण उद्योग है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की मांग 2009 में 45 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर, 2020 तक 400 अरब अमेरिकी डालर होने का अनुमान लगाया गया है। (सू.प्रौ.मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार)

(सात) हितधारक (Stakeholder): राज्य के प्रमुख हितधारक के रूप में न केवल आई.टी. विभाग, बल्कि राज्य के सभी विभाग, जिसमें पुलिस विभाग, विभिन्न संगठनों के उद्योग प्रतिनिधि, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त संस्थान/विश्वविद्यालय तथा राज्य के सभी नागरिक भी शामिल हैं।

(आठ) राज्य की एम.एस.एम.ई. नीति के अनुसार, राज्य को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है, जोकि अध्याय 3 में उल्लेखित है तथा इसमें प्रस्तावित प्रोत्साहन का प्राथमिक उद्देश्य, दूरस्थ क्षेत्रों में आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को बढ़ावा देना है।

ख. राष्ट्रीय उद्देश्य

एक. यह जरूरी है कि इस विषय पर राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति को राष्ट्रीय नीतियों के साथ संरेखित किया जाए। इसके संदर्भ में, राष्ट्रीय नीति, जैसे कि, "सूचना प्रौद्योगिकी 2012(NPIT 2012)", "ESDM (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण) 2012", "राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012(NPE 2012)" तथा "राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012(NTP 2012)" के मुख्य उद्देश्यों को इस दस्तावेज़ में शामिल किया गया है तथा नीचे संक्षेप में बिंदुवार दिया गया है:-

- (क) आई०टी० एवं आई०टी०ई०एस० उद्योग के राजस्व को वर्तमान में 100 बिलियन अमेरिकी डालर को 2020 तक 300 बिलियन अमेरिकी डालर तक बढ़ाने तथा 2020 तक वर्तमान में होने वाले निर्यात का 69 अरब अमेरिकी डालर से 200 अरब अमेरिकी डालर तक विस्तार करना।
- (ख) उभरती प्रौद्योगिकियों व सेवाओं का महत्वपूर्ण रूप से वैश्विक बाजार-हिस्सेदारी में वृद्धि को हासिल करना।
- (ग) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देना।
- (घ) प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में सुधार हेतु महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामरिक क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- (ड) सूचना प्रौद्योगिकी को मूल्य सृजन हेतु अपनाने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (SME) तथा स्टार्टअप को वित्तीय लाभ प्रदान करना।
- (च) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 10 मिलियन अतिरिक्त कुशल श्रमशक्ति के पूल का सृजन
- (छ) प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को ई-साक्षर बनाना। उत्तराखण्ड राज्य, 2025 तक सभी निवासियों को ई-साक्षर बनाने का प्रयास करेगा।
- (ज) सभी सार्वजनिक सेवाओं के किफायती रूप से पहुँच व अनिवार्य वितरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग करना।
- (झ) सरकार में और विशेष रूप से सार्वजनिक सेवाओं के वितरण हेतु, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, दक्षता, विश्वसनीयता तथा विकेन्द्रिकरण को बढ़ावा देना।
- (झ) इकिवटी एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु, सामाजिक क्षेत्रों की पहल, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास तथा वित्तीय सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
- (ट) भाषा प्रौद्योगिकी के विकास हेतु तथा भारत को वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए सभी भारतीय भाषाओं में विषय वस्तु के विकास एवं उसे सुलभ, सुविधाजनक रूप में उपलब्ध कराना, जिससे डिजिटल विभाजन को सेतु प्रदान हो सके।
- (ठ) विषय वस्तुओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एप्लिकेशन को दिव्यांगजनों तक सुलभ एवं सक्षम रूप से पहुँचाना ताकि समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिल सके।
- (ड) सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का लाभ, कार्यबल के विस्तार तथा जीवनपर्यन्त सीखने को सक्षम बनाने के लिए।
- (ड) एक सुरक्षित एवं कानूनी रूप से अनुपालित साइबररप्पेस पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए नियामक तथा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना।
- (ण) ओपन मानकों को अपनाने, ओपन सोर्स तथा ओपन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए।

- (त) देश में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक ESDM (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण) क्षेत्र हेतु पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और 2020 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार हासिल करने के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश तथा विभिन्न स्तरों पर लगभग 28 मिलियन लोगों को रोजगार देना शामिल है।
- (थ) बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण VLSI (Very Large Scale Integration) सिस्टम, चिप डिज़ायन व अन्य सीमांत तकनीकी क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए तथा 2020 तक 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार हासिल करने हेतु, उभरते चिप डिज़ायन व अंतःस्थापित सॉफ्टवेयर उद्योग की स्थापना।
- (द) कच्चे माल, भागों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना ताकि इन आदानों की स्थानीय उपलब्धता, वर्तमान में 20–25 प्रतिशत से बढ़ाकर 2020 तक 60 फीसदी हो सके।
- (घ) ESDM (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण) क्षेत्र में निर्यात को 2020 तक 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लिए ESDM (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण) क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हेतु स्नातकोत्तर शिक्षा को बढ़ाने और 2020 तक सालाना लगभग 2500 पी.एच.डी. डिग्री प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

ग. सामान्य

- (एक) उत्तराखण्ड राज्य का गठन 9 नवम्बर, 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरी भाग से अलग हो कर बना था। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी पर बड़े पैमाने पर स्थापित इस पहाड़ी राज्य में वर्तमान आबादी लगभग 1.08 करोड़ है जोकि कुल 53,483 वर्ग कि.मी. भौगोलिक क्षेत्रफल के फैलाव में बरसी हुई है। जिनमें से लगभग 88 प्रतिशत पहाड़ी भूभाग है। उत्तराखण्ड, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है, जिनमें विशेष रूप से जल के प्रमुख स्रोतों के साथ कई हिमनद, नदियाँ, वन तथा पर्वत शिखर शामिल हैं। यह वास्तव में देवभूमि है।
- (दो) नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, त्वरित सामाजिक और आर्थिक विकास लाने, सरकारी निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, विभिन्न उपयोगकर्ता खण्डों में आई.टी. के अंगीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की पूर्ण शक्ति के उपयोग का प्रस्ताव रखा गया है। कुशल, सेवा उन्मुख, लागत प्रभावी, सूचना तंत्रीय, पर्यावरण जागरूक तथा वर्ष-दर-वर्ष विकासीय दृष्टिकोण एक आदर्श ई-सोसाइटी मॉडल की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। साथ ही इस समय ESDM (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण) सबसे तेजी से बढ़ता हुआ खण्ड है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012(NPE 2012) के अनुसार 2020 तक ESDM (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ायन तथा विनिर्माण) क्षेत्र में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक वृद्धि की उम्मीद है।

(तीन) इस दस्तावेज का उद्देश्य, प्रभावी रूप से समावेशीय और सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन को नीतिगत ढांचा प्रदान करना है ताकि सभी पहलुओं में राज्य वास्तविक प्रगति को प्राप्त कर सके। यह नीति दस्तावेज, उत्तराखण्ड एम.एस.एम.ई. नीति 2015 तथा उत्तराखण्ड में ग्रामीण एवं निवेश नीति 2015 में एक विस्तारित दस्तावेज बन जाएगा।

(चार) राज्य के भीतर हुई प्रगति की निगरानी हेतु हर तीन वर्ष बाद इस नीति दस्तावेज की समीक्षा की जाएगी तथा उसके पश्चात आवश्यक संसोधन जारी किए जाएंगे। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि नेशनल ई-गवर्नेन्स डिविज़न (NeGD) तिमाही आधार पर राज्य में विभिन्न ई-गवर्नेन्स से सम्बन्धित परियोजनाओं की प्रगति का संकलन कर ई-रेडीनेस रिपोर्ट (e Readiness Report) तैयार करती है जिसमें सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की तैयारी के विभिन्न पहलुओं को अनुक्रमित कर श्रेणीवार भारत के सभी राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों में तुलना की जाती है।

अध्याय 2 – उत्तराखण्ड राज्य सूचना प्रौद्योगिकी नीति

क. परिकल्पना

“उत्तराखण्ड राज्य द्वारा आर्थिक विकास तथा चहुंमुखी समावेशी विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का विकास इंजन के रूप में उपयोग ताकि जीवन की उच्च गुणवत्ता वाले जीवंत समाज की स्थापना की जा सके”

ख. लक्ष्य

- एक. प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य को पूर्ण रूप से डिजिटलीकृत तथा नेटवर्क आधारित समाज बनाना जहां समाज के सभी वर्गों में सूचना प्रवाह व पहुंच सक्षम हो और राज्य के आर्थिक विकास को प्रेरित करे।
- दो. रोजगार सृजन— 79.63 प्रतिशत (उत्तरी राज्यों में सबसे ज्यादा) की उच्च साक्षरता दर को देखते हुए, सरकार का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी (IT), सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ (ITES) को प्रोत्साहित कर बेरोजगारी कम करना तथा उत्तराखण्ड में उद्यम स्थापित करना है।
- तीन. ESDM (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजायन तथा विनिर्माण) उद्योग में निवेश हेतु, उत्तराखण्ड राज्य को सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को विकास इंजन के रूप में बढ़ावा देना।

ग. मिशन

इस नीति का मिशन:



एक. उत्तराखण्ड राज्य को भारत में एक आकर्षक सूचना प्रौद्योगिकी (IT) निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना।

दो. उत्तराखण्ड के विकास इंजन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का लाभ उठाना।

तीन. भौतिक समुदायों को जुड़े समुदायों में परिणत करना, जो सतत आर्थिक विकास को समझने और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने में मदद कर सकते हैं।

घ. उद्देश्य

एक. उत्तराखण्ड को सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कम्पनियों के लिए अनुकूल, उद्योग अनुकूल और सक्रिय कार्य वातावरण प्रदान करके, एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना।

दो. राज्य में अत्यधिक आधारभूत संरचनाओं की स्थिति स्थापित करने में सहायता प्रदान करके राज्य के प्रमुख शहरों/कस्बों को उभरते सूचना प्रौद्योगिकी (IT) गंतव्यों के रूप में बढ़ावा देना। यह राज्य के भीतर एकल खिड़की सहायता प्रदान करके हासिल किया जाएगा।

तीन. व्यवसाय और उपभोगकर्ताओं के लिए सहज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में विश्व स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी (IT) आधारभूत संरचना बनाना, एक जीवंत पारिस्थितिक तंत्र में सार्वजनिक और निजी सेवाओं का उपयोग आसान बनाना, जिसमें आईसीटी ऑपरेटर, सेवा प्रदाता, सरकार, नियामक और अंतिम उपयोगकर्ता शामिल हैं। राज्य सरकार की पीपीपी मॉडल के तहत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMCs) स्थापित करने की योजना है।

चार. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उद्योग के लिए आवश्यक श्रमशक्ति कौशल को उन्नत और विकसित करना और युवाओं को कौशल और ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के उपयोग में तेजी लायी जाएगी ताकि उन्हें इस उद्योग में रोजगार के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। राज्य सरकार की योजना अकादमिक संस्थानों, आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक संस्थानों, निजी कम्पनियों (Private Players) को प्रोत्साहित कर, उनके द्वारा छात्रों और राज्य के गैर-कुशल/अर्ध-कुशल कर्मियों को सामान्य और उच्च स्तर के कौशल प्रदान करना है। इसका समग्र समायोजन करना है।

पांच. सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के उपयोग को न केवल प्रबंधन और निर्णय समर्थन प्रणालियों के लिए एक उपकरण के रूप में प्रोत्साहित करना, बल्कि सरकार की प्रक्रियाओं को फिर से डिज़ायन करके अपने नागरिकों को अधिक कुशल, पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेही सरकार प्रदान करना है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपनी संभी कार्य पद्धति में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई जाएगी।

छह. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के उपभोक्ता एप्लिकेशनों तक आसानी से पहुंच प्रदान करके राज्य के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को उन्नत करना।

सात. राज्य में सूचना व प्रौद्योगिकी (IT) उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को जीडीपी चालक के रूप में उपयोग करना और इस क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से राज्य को एक आकर्षक सूचना प्रौद्योगिकी (IT) गंतव्य के रूप में विकसित करना जिससे उनकी उपार्जन क्षमता बढ़ाई जा सके और साथ ही साथ इस क्षेत्र में निर्यात एवं घरेलू राजस्व क्षमता को महसूस किया जा सके।

आठ. ESDM (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन तथा विनिर्माण) की संपूर्ण मूल्य शृंखला में एक मैत्रीय एवं निवेशक अनुकूल माहौल बनाकर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना।

नौ. राज्य में अनुसंधान एवं विकास (R&D), डिजाइन और इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार की एक जीवंत पारिस्थितिक प्रणाली के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इस में सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

दस. राज्य के निवासियों के लिए राज्य के भीतर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पादन का लक्ष्य।

ग्यारह. इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय(MeitY), भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) क्षेत्र में कौशल विकास के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का चयन करने के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता के उपयोग को सुनिश्चित करना। इसके बाद प्रशिक्षित किए जाने वाले कर्मियों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति की वृद्धि/विस्तार पर निर्भर करेगी।

अध्याय 3 – कार्यान्वयन रणनीति

क. रणनीतिक बल

एक. छह रणनीतिक बल क्षेत्र हैं – 3 नींव द्वारा समर्थित, 3 स्तंभ क्षेत्र हैं। तीन स्तंभों में आर्थिक परिवर्तन, जन सशक्तिकरण एवं एनोज़मैन्ट और नवाचार शामिल हैं। जिसे मजबूत नींव द्वारा समर्थित किया जाना आवश्यक है, जिसमें आधारभूत संरचना विकास, मानव पूंजी विकास और डिजिटल विभाजन की ब्रिजिंग शामिल है। उत्तराखण्ड राज्य के विकास के लिए सभी छ: बल क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी (IT) को इंजन के रूप में उभारने हेतु नेतृत्व प्रदान करेंगे; भारत में उत्तराखण्ड को सबसे पसंदीदा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) गंतव्य के रूप में मान्यता देंगे तथा परिणामस्वरूप राज्य के निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। राज्य सरकार द्वारा देहरादून में एक मौजूदा आईटी पार्क के अलावा दूसरे आईटी और एजुकेशन हब स्थापित करने की भी योजना है।

दो. आईटी बजट की व्यवस्था: राज्य के सभी विभाग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और संवर्धन के लिए अपने वार्षिक बजट का कुछ प्रतिशत निर्धारित करेंगे।

ख. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नीति का क्रियान्वयन

एक. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के माध्यम से सुशासन (Good Governance)

- (क) इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि सुशासन मुख्य रूप से जनता, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी का संयुक्त प्रभाव है, उत्तराखण्ड सरकार अनुकूलित प्रशासनिक प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित 'अत्याधुनिक' प्रौद्योगिकियों को तैनात करने और नागरिकों के इंटरफेस एवं सरकार के साथ व्यवसाय को सरल बनाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के प्रभावी उपयोग हेतु लोगों के बीच पर्याप्त कौशल के निर्माण का प्रयास करेगी। राज्य अपने नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में सूचना का उपयोग करेगा।
- (ख) इस प्रकार, सरकार के लक्ष्य में से एक राज्य और केंद्र में विभिन्न विभागों में सूचनाओं का सहयोग (*cooperate*), सहकार्य (*collaborate*) और एकीकृत (*integrate*) करना है जो सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और विभिन्न विभागों के बीच विभिन्न अंतर-संबंधित सेवाओं को एकत्र करता है तथा इस प्रकार नागरिकों, व्यवसायों और अन्य सरकारी विभागों को तत्काल सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है।
- (ग) सरकार का लक्ष्य 2018 तक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अधिकांश नागरिक केंद्रित सेवाओं को प्रदान करना है। इसे प्राप्त करने के लिए, ई-जिला और अन्य मिशन मोड परियोजनाओं (MMPs) का राज्यव्यापी बहिर्वल्लन (roll out) जारी है। सरकार एक ही पोर्टल से इन परियोजनाओं के माध्यम से अधिकांश नागरिक केंद्रित सेवाओं को पारदर्शी और कुशलता से लाने का लक्ष्य रखती है।
- (घ) सरकार का लक्ष्य 2019 के अंत तक सभी आंतरिक सरकारी प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत करने का है। सरकार इस समय तक "पेपर लेस" हो जाने की योजना बना रही है। सभी सरकारी विभागों में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS), ई-ऑफिस, ई-फाइल समेत उद्यम संसाधन योजना (ERP) सिस्टम को लागू करने की योजना है। इस उद्देश्य के लिए सभी अधिकारियों को डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर प्रदान किए जाएंगे।
- (प) डिजिटल लॉकर्स के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा जहां नागरिक सुरक्षित मीडिया पर अपने दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं और आवश्यकतानुसार फोटोकॉपी दस्तावेजों को जमा करने के बजाए विभिन्न एजेंसियों के साथ साझा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सभी सरकारी अधिकारियों के साथ शुरू होगी, जिन्हे इस सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- (फ) उत्तराखण्ड राज्य का भरोसा ई-गवर्नेंस के माध्यम से, किसी भी समय, अपने नागरिकों को सरकारी सेवा की डिलीवरी प्रदान करना है। इस चुनाव का अधिकार नागरिक के पास होना चाहिए, न कि सरकारी विभाग के पास। इसलिए राज्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग सार्वजनिक सेवा केन्द्र (CSCs)/इंटरनेट के माध्यम से ऐसी सेवाएं अपनी भौगोलिक विषमताओं को दूर करने के लिए करेगा।
- (ब) राज्य सरकार की केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सर्वोत्तम औद्योगिक प्रथाओं और दिशानिर्देशों के आधार पर नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को अपनाने की योजना है। राज्य सरकार मूल्यवान डेटा के नुकसान को कम करने के लिए सभी विभागों के भीतर साइबर अनुशासन (Cyber Discipline) का निर्माण करेगी।
- (भ) उपयोगकर्ता इंटरफेस को एक ऐसे रूप और तरीके से प्रदान करने के लिए विशेष जोर दिया जाएगा जो समाज के बड़े वर्गों के लिए प्रौद्योगिकी इंटरफेस के साथ बातचीत करने के लिए आसान और सुविधाजनक है। उपकरणों के विकल्पों – पीसी, टेलीफोन,

डिजिटल टीवी, मोबाइल डिवाइस, कियोस्क, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इत्यादि को लेनदेन के समर्थन हेतु डिवाइस उपयुक्तता के अधीन व्यापक ऑनलाइन पहुंच की सुविधा के लिए आधारभूत संरचना बनाने और समर्थन करने के लिए माना जाएगा। सरकार निम्नलिखित पहलुओं को बढ़ावा देने की योजना बना रही है:

1. नागरिकों को कुशल पहुंच उपकरणों (इंटरनेट/ब्रॉडबैंड पहुंच के लिए) के वित्त पोषण के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों, बैंकिंग/वित्तीय संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय।
2. सरकारी कार्यालयों और प्रासंगिक सूचनाओं के नागरिकों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की प्रस्तावित सामान्य सेवा केंद्र योजना के अनुरूप राज्य के सभी गांवों में सार्वजनिक सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) स्थापित कर रहा है। ये सी.एस.सी. सरकार और उसके विभिन्न कार्यालयों के लिए आम पहुंच बिंदु के रूप में कार्य करेगी।
3. सरकार राज्य के सभी निवासियों के डेटाबेस तैयार करने का लक्ष्य रखती है, जिसका प्रयोग, लाभार्थियों के केंद्रीय कोष के रूप में अन्य सभी एप्लिकेशनों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए किया जा सकता है। प्रमाणीकरण और डी-डुप्लिकेशन सेवाओं के लिए यह डेटाबेस आधार के साथ जोड़ा जाएगा। यह डेटा बेस सरकारी योजनाओं में लीकेज से बचने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान करेगा और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के नियोजन हेतु निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में भी कार्य करेगा। हालांकि, सरकार के दिशानिर्देशों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता का सख्ती से पालन किया जाएगा।

- (अ) विभागों की आंतरिक क्षमताओं में सुधार के अवसरों की पहचान के लिए तथा नागरिकों में अपनी सेवाओं के वितरण की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से आई.टी. विभाग, राज्य के अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करेगा।
- (ब) पहाड़ी जिलों के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, आई.सी.टी. (सूचना व संचार प्रौद्योगिकी), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आई.सी.टी. का उपयोग, आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए भी किया जाएगा।

ग. आई.टी. (सूचना प्रौद्योगिकी) के प्रभावी आधारभूत संरचना का निर्माण

एक. राष्ट्रीय आई.टी. नीतियों का समर्थन

- (क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.) के तहत स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.), स्टेट डाटा सेंटर (एस.डी.सी.) आदि से संबंधित विभिन्न पहल केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा। केंद्रीय समर्थन से इतर अतिरिक्त आधारभूत संरचना को राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदान किया जाएगा।



(ख) स्वान: स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (यूके.स्वान) पहले से ही स्थित है, जिसने राज्य मुख्यालय (एस.एच.क्यू.) को 13 जिला मुख्यालयों (डी.एच.क्यू.) और जिला मुख्यालयों से संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों (बी.एच.क्यू.)/तहसील मुख्यालयों (टी.एच.क्यू.) के साथ जोड़ा हुआ है।

(ग) कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.): भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.) को एक सामर्थ्य लागत के अनुसार, नागरिकों के दरवाजे पर एकीकृत तरीके से सभी सरकारी सेवाओं को प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ सूत्रबद्ध किया है। कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) परियोजना के तहत ग्रामीण भारत में सूचना और सेवाओं हेतु "वेब-इनेबल्ड एनीटाईम, एनीक्वेयर एक्सेस" के वितरण मॉडल के अनुसार सभी जिलों के ग्रामीण इलाकों में आई.टी.(सूचना प्रौद्योगिकी) सक्षम केंद्र बनाए जाएंगे।

(घ) स्टेट डाटा सेंटर (एस.डी.सी.): यह जी2जी, जी2सी और जी2बी सेवाओं के कुशल इलेक्ट्रॉनिक वितरण हेतु सेवाओं, एप्लिकेशनों और आधरभूत संरचनाओं को एकीकरण प्रदान करेगा। यह सभी सरकारी विभागों हेतु भंडारण प्रदान करेगा जिसमें विभागों के डेटा, एप्लिकेशन सर्वर, वेब सर्वर, और मेल सर्वर को अवस्थित किया जा सकेगा। आई.टी. पार्क, देहरादून में स्थित आई.टी. भवन में राज्य अत्याधुनिक एस.डी.सी. के साथ आ रहा है।

दो. प्रौद्योगिकी-स्थापत्य और मानक

(क) ई-गवर्नेंस स्थापत्य संरचना को विकसित करने हेतु, सेवा सृजन और वितरण के क्षेत्र में विभिन्न प्रतिभागियों, जैसे कि सेवा साधकों, सरकारी सेवा तथा अन्य तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं को उनकी भूमिका के आधार पर मान्यता दी जाएगी। प्रमाणीकरण एवं पेमेंट गेटवे सेवाएं, नेटवर्क प्रदाता, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सेवाएं इन प्रतिभागियों के बीच परेशानी रहित इंटरफेस प्रदान करेगी जो सुनिश्चित करेगा कि प्रभावी पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप मॉडलों के माध्यम से 24x7 गुणवत्ता सेवाओं का सुचारू, कुशलतापूर्वक सृजन एवं डिलीवरी हो सके।

(ख) राज्य, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुशंसित इंटरऑपरेबिलिटी, डेटा और मेटाडाटा से संबंधित ई-गवर्नेंस मानकों का अनुसरण व अनुपालन, केंद्र द्वारा अपनायी गयी संरचना के आधार पर सुनिश्चित करेगा।

(ग) उत्तराखण्ड सरकार तकनीकी रूप से तटस्थ है परन्तु एकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि सॉफ्टवेयर को खुले मानकों पर आधारित और उसके एकीकरण मानकों को परिभाषित किया जाए। इसलिए, उत्तराखण्ड सरकार पारदर्शी मानकों पर कार्य करेगी।



(घ) विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं, द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के सुधार में योगदान हेतु, सरकार विभिन्न प्रौद्योगिकियों तथा विक्रेताओं के सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित करेगी। यह नई प्रौद्योगिकियों को लाने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करेगा।

तीन. नेटवर्क/संचार आधारभूत संरचना

(क) कनेक्टिविटी आधार की रचना वह बुनियाद है जिस पर ई-गवर्नेंस पहल के निर्माण खंडों को स्थापित किया जाएगा। राज्य भर में कनेक्टिविटी हेतु स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) पहले से ही मौजूद है। केंद्र से स्वान दिशा-निर्देश और समर्थन का उपयोग संचार आधारभूत संरचना के लाभ को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। बैंडविड्थ उपलब्धता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सामर्थ्य मूल्य लाने के लिए सरकार अन्य सार्वजनिक और निजी नेटवर्कों के प्रसार को प्रोत्साहित करेगी।

(ख) राज्य का लक्ष्य, स्वान के तहत क्षैतिज कनेक्टिविटी योजना के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी विभागों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

(ग) राज्य का लक्ष्य, भारत सरकार की राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) और भारत नेट-चरण II परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्राम पंचायत(जीपी) स्तर तक कनेक्टिविटी हासिल करना है। समय पर अनुमोदन प्रदान करके और जो भी समर्थन आवश्यक है, के आधार पर इस परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन में सहायता करने हेतु राज्य प्रतिबद्ध है।

(घ) राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य चरणबद्ध तरीके से पर्यटक/तीर्थस्थलों और जिला मुख्यालयों में मुफ्त वाई-फाई सेवाएं मुहैया कराएगा।

चार मोबाइल संचार

प्रौद्योगिकी की प्रगति, डेटा खपत में भारी वृद्धि, टेली-घनत्व में वृद्धि तथा स्मार्ट फोन उपभोक्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में कई और टावर स्थापित करने की आवश्यकता बहुत जरूरी हो गई है। किसी भी मोबाइल नेटवर्क के लिए आवश्यक संख्या में मोबाइल टावर आवश्यक हैं और इनकी अनुपस्थिति मोबाइल कवरेज में अंतराल के लिए बाध्य हो जाती है, जिससे सेवाओं में गिरावट, धीमी इंटरनेट गति और कॉल ड्राप्स की समस्या आती है। उत्तराखण्ड राज्य के बड़े दूरस्थ एवं पहाड़ी क्षेत्रों को अभी भी मोबाइल कनेक्टिविटी द्वारा कवरेज नहीं मिली है जिससे



इन क्षेत्रों के निवासियों को बुनियादी सेवाएं अस्वीकार हो गई हैं। इन क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए ROW & Tower नीति तदनुसार अपडेट की जाएगी। राज्य सरकार मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए सरकारी भवन/भूमि के उपयोग का पता लगाने हेतु सरकारी विभागों को भी प्रोत्साहित करेगी।

घ. मानव कौशल का विकास

- एक. आईटी.(सूचना प्रौद्योगिकी) के क्षेत्र में, राज्य सरकार उन विकास कौशल को संबोधित करेगी जिनमें रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की क्षमता है – नागरिकों की क्षमता का निर्माण, विशेष रूप से युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, औद्योगिक कर्मचारियों, ग्रामीण समुदायों जिनमें महिलाएँ, को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में रोजगार के अवसर प्रदान हो सकें।
- दो. क्षमता निर्माण अभ्यास के हिस्से के रूप में, उत्तराखण्ड सरकार का लक्ष्य सार्वभौमिक कंप्यूटर/डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। उत्तराखण्ड सरकार, इस दिशा में, राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में है। राज्य मौजूदा आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों का लाभ उठाएगा और इन्हें निकटतम आईटी उद्योगों से जोड़ देगा।
- तीन. राज्य मौजूदा तकनीकी संस्थानों और निजी फर्मों का लाभ उठाएगा और सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास (R&D) का प्रयास करेगा जो जनसंख्या को लाभ पहुंचा सकेगा।
- चार. प्रत्येक उत्तीर्ण छात्र (राज्य सरकार के स्कूलों/कॉलेजों से) में पर्याप्त आईटी कौशल होना चाहिए। तेजी से बढ़ती हुई आईटी.(सूचना प्रौद्योगिकी) क्रांति की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, स्कूलों और कॉलेजों को इन्हें अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- पांच. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अन्तर्गत सरकार के भीतर क्षमता निर्माण किया जाएगा। इनमें, विभिन्न कौशल स्तरों हेतु आउटसोर्सिंग और इन-हाउस दक्षता जैसे कि, मोबाइल और वेब प्रौद्योगिकी कार्यशालाओं, नई तकनीक कार्यशालाओं, कार्यक्रम प्रबंधन, व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्वितरण, परिवर्तन प्रबंधन, वास्तुकला डिजाइन आदि जैसे का मिश्रण शामिल होगा। ई-गवर्नेंस में विभिन्न विशिष्ट प्रशिक्षण (STeP) मॉड्यूल आयोजित किए जा रहे हैं और सभी विभागों के सरकारी अधिकारियों के लिए और योजना बनाई गई है। शीर्ष स्तर के राजनेताओं और राज्य के नौकरशाहों के लिए लीडरशिप मीट/सेमिनार की योजना आईटी. के बारे में जागरूकता लाने की है ताकि समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी एक ही पृष्ठ पर हों।
- छह. प्रत्येक नए सरकारी अधिकारी को प्रथम वर्ष में आईटी. पर अनिवार्य प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों में बुनियादी से मध्यम स्तर के कंप्यूटर साक्षरता मॉड्यूल शामिल होंगे। हर 2 साल बाद रिफ्रेशर कोर्स देने के प्रयास किए जाएंगे। ऐसे प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ सभी मौजूदा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

सात. सरकार आईटी. की पहल में विभिन्न विभागों की सहायता के लिए वर्चुअल आईटी. कैडर को ऑनबोर्ड करने की योजना बना रही है।

ड. सुरक्षा

एक. सरकार बैंकिंग, फुटकर भुगतान, वाहन पंजीकरण, इंटरनेट भुगतान, नागरिक पहचान, राशन कार्ड, पेंशन, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य रिकॉर्ड इत्यादि जैसे कई अधिकार क्षेत्रों में स्मार्ट कार्ड और बॉयोमीट्रिक्स के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।

दो. सरकार डिजिटल लॉकर्स, डिजिटल सर्टिफिकेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी और मौजूदा प्रमाणन प्राधिकरणों और सेवा प्रदाताओं की पहचान करेगी और सामान्य उपयोग हेतु कीमतों को सस्ती रखने का प्रयास करेगी।

तीन. उत्तराखण्ड सरकार का उद्देश्य शून्य सॉफ्टवेयर पाइरेसी सरकार होना है।

च. आईटी. अभिग्रहण तथा ज्ञान-आधारित उद्योगों को आकर्षित कर औद्योगिक विकास में तेजी

एक. राज्य की आर्थिक वृद्धि मूल्य-वर्धित व्यापार/औद्योगिक गतिविधि और प्राकृतिक संसाधनों के एक समृद्ध संग्रह की उपलब्धता से प्रेरित है। राज्य के जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में सेवा क्षेत्र से आता है, जो राज्य को एक सेवा उन्मुख अर्थव्यवस्था बनाता है। सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य योगदानकर्ताओं के रूप में पर्यटन, कृषि, बागवानी, औषधीय/हर्बल संपत्ति और हाइड्रो ऊर्जा शामिल है।

दो. सरकार राज्य में आईटी. उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ है। राज्य पीपीपी मॉडल के तहत निजी प्रतिभागियों द्वारा आईटी. क्लस्टर के अभिग्रहण और प्रोत्साहन के लिए सुविधा प्रदान करेगा। इन समूहों के लिए भूमि, साझा राजस्व मॉडल आधारित छूट दरों पर प्रदान की जाएगी।

छ. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजायन तथा विनिर्माण (ESDM) नीति का क्रियान्वन

एक. आधारभूत संरचना विकास: औद्योगिक संघ एवं आईटी. विभाग तथा उद्योग के सदस्यों सहित एक समिति आधारभूत संरचना के पहल की प्रगति की देखरेख करेगी। उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (SIIDCUL) के परामर्श से राज्य आईटी. विभाग, विनिर्माण समूहों से राज्य के ए और बी श्रेणी क्षेत्रों में उनके अधिग्रहण तथा निजी उद्योग हेतु प्रावधानीकरण के लिए उपयुक्त ईएमसी स्थलों की पहचान करेगा।

दो. ईएसडीएम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र: राज्य आईटी. विभाग के सचिव की अध्यक्षता में, ईएसडीएम विशिष्ट नोडल एजेंसी का गठन करेगा। एजेंसी में उद्योग और सरकार के अधिकारी होंगे, जिनकी प्रमुख जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं:



क प्रमुख संभावित निवेशकों के साथ संपर्क सहित निवेश संवर्धन और निगरानी।

ख प्रमुख वैश्विक एक्सपो में भागीदारी, संभावित निवेशकों (यूएस, यूरोप, जापान, ताइवान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों) में रोड शो के आयोजन द्वारा तथा प्रिंट और डिजिटल मीडिया द्वारा समर्थित विज्ञापन के माध्यम से ब्रांड उत्तराखण्ड को बढ़ावा देना।

ग समिति के पास इस क्षेत्र की गहन समझ रखने वाले तकनीकी विशेषज्ञ भी होना चाहिए।

तीन. ईएसडीएम नीति के तहत प्रोमोशनल पहल: उत्तराखण्ड सरकार ईएसडीएम नीति के तहत निम्नलिखित प्रचार पहलों को रेखांकित करती है, जिससे राज्य भारत के ईएसडीएम क्षेत्र में अग्रणी योगदानकर्ता बन जाएगा और राज्य को ईएसडीएम में निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बना देगा।

चार. अधिमानी बाजार पहुंच (PMA) नीति

क उत्तराखण्ड सरकार, भारत सरकार के *Preferential Market Access* पर रेखांकित स्थानीय मूल्यवर्धन मानदंडों के आधार पर सरकारी खरीद के लिए स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को प्राथमिकता देगी।

ख घरेलू रूप से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वे हैं जो उत्तराखण्ड में पंजीकृत और स्थापित कंपनियों द्वारा निर्मित होते हैं तथा अनुबंधित निर्माताओं (व्यापारियों को छोड़कर) सहित विनिर्माण में लगे हुए हैं।

पांच. ईएसडीएम क्षेत्र में नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास हेतु पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण: उत्तराखण्ड दो ईएसडीएम नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करेगा और उद्यमियों और कंपनियों को पूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान करेगा जो अपनी उत्पाद अवधारणा लेना चाहते हैं और एक कार्यशील प्रतिकृति को लागू करना चाहते हैं। इन केंद्रों में अपेक्षित जनशक्ति और अवयव भंडार के साथ वीएलएसआई डिजाइन टूल्स, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट सुविधाएं, परीक्षण सुविधाएं, निरूपण प्रयोगशालाएं, अनुपालन और प्रमाणन प्रयोगशालाएं जैसे आवश्यक डिजाइन टूल होंगे। यह सचिव, आई.टी. की सिफारिश के आधार पर सचिवों की एक समिति द्वारा तय किया जाएगा।

छह. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी): उत्तराखण्ड ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए आवश्यक विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना सुविधाओं को प्रदान करने के लिए उच्च श्रेणी के ईएमसी के निर्माण को बढ़ावा देगा। राज्य ऐसे बुनियादी ढांचे के विकास में जहां भी व्यावहारिक हो, पीपीपी मोड में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। राज्य सरकार 2025 तक राज्य में 3 (तीन) ईएमसी के विकास का समर्थन करेगी। ईएमसी के लिए प्रस्तावित स्थल काशीपुर है, अन्य दो स्थलों की पहचान, आई.टी. विभाग द्वारा SIIDCUL के परामर्श से की जाएगी। ईएमसी का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

सात. उत्तराखण्ड ब्रांड की स्थापना: सरकार उत्तराखण्ड को वैशिक निवेशक दर्शकों के लिए एक आकर्षक ईएसडीएम केंद्र के रूप में मार्केट करेगी तथा ईएसडीएम के लिए एक मजबूत "ब्रांड उत्तराखण्ड" का निर्माण करेगी। राज्य में निवेश को सक्रिय रूप से आमंत्रित करने के लिए दुनिया भर में शीर्ष ईएसडीएम कंपनियों के साथ मिलना होगा।

आठ. नवाचार संवर्धन: उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति के अनुसार सरकार अनुमोदित आईटी। क्षेत्र में नवाचार को पुरस्कार के माध्यम से बढ़ावा देगी।

नौ. ईएसडीएम में कौशल विकास

क. 'विश्व की कौशल पूँजी' के रूप में भारत के आरोहण को सक्षम करने के लिए, यह अनिवार्य है कि समावेशी विकास के लिए भारतीय युवाओं विशेषकर ग्रामीण और अर्द्ध शहरी युवाओं को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक रूप से कुशल बनाने हेतु विकास वाहन उपलब्ध कराया जाए।

ख. उत्तराखण्ड में चरणबद्ध प्रतिभा की आवश्यकता के अनुरूप वार्षिक आईटीआई/डिप्लोमा संस्थानों की स्थापना। नए संस्थानों को ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों तथा उद्योग समूहों के पास लाना चाहिए।

ग. सभी प्रमुख संस्थानों में ईएसडीएम संबंधित विषयों में परास्नातक पाठ्यक्रम।

घ. कंपनियों और विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहित करना।

ङ. उत्तराखण्ड सरकार, दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद (टीएसएससी) के साथ काम करेगी, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के तहत स्थापित किया गया है, जिसमें दूरसंचार क्षेत्र में 5 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने हेतु जनादेश है।

च. राज्य सरकार राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार योजना (STAR) से लाभ उठाने के प्रयासों को जारी रखेगी जिसका उद्देश्य युवाओं के कौशल विकास को विषय पर भारत सरकार की ईएसडीएम नीति के अनुसार प्रोत्साहित करना है।

दस. पेटेंट एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) हेतु प्रोत्साहन

उच्च मूल्यवर्धित ईएसडीएम विनिर्माण के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के निर्माण की आवश्यकता होती है जिसे भारत और विदेश दोनों में पेटेंट के रूप में संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसे सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि उत्तराखण्ड आईपीआर और ज्ञान अर्थव्यवस्था में अग्रणी बन जाए, जिसके बदले में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता प्राप्त होगी।

ज. ग्रामीण बीपीओ/केपीओ उद्योग

एक. निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार ग्रामीण बीपीओ/केपीओ सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है:

- क. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि आधारित स्थानीय रोजगार का विकल्प के रूप में सृजन।
- ख. जहां लोग, वहाँ नौकरियों का सृजन किया जाये बजाय इसके कि जहां नौकरियां हैं वहाँ लोगों को जाना पड़े – इससे सामाजिक तानाबाना बना रहता है, तथा पलायन और शहरीकरण दबाव कम होता है।
- ग. बढ़ी हुई घरेलू आय अधिक क्रय शक्ति पैदा करती है और द्रिकल-डाउन प्रभाव के कारण, महत्वपूर्ण स्थानीय आर्थिक विकास का सृजन होता है भौगोलिक रूप से विभाजित आय की दूरी को कम करने का प्रयास करता है।
- घ. अप्रत्यक्ष कार्यबल (युवा महिलाएँ) हेतु नौकरियों तक पहुंच बनाकर लैंगिक विविधता पर जोर दिया जाता है जो आमतौर पर नौकरियों के लिए माइग्रेट नहीं करेगा।
- ड. ऐसी इकाइयों को सहायक और समर्थन सेवाएं कम से कम 3-4 अधिक लोगों को प्रत्येक सीधे नियोजित व्यक्ति के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती हैं।
- च. दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा में “कनेक्ट” करने के लिए डिजिटल लिंक बनाने में मदद करता है: ज्ञान आधारित सेवाओं में भागीदारी, आईटी। के बारे में अधिक जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहायता इत्यादि) में अन्य चुनौतियों के लिए ज्ञान और जानकारी के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देती है।
- छ. भारत को बीपीओ सेवाओं में वैशिक नेतृत्व की स्थिति बनाए रखने में मदद करता है (लागत-नेतृत्व शहरी क्षेत्रों में प्रभावित होती है)।
- ज. राज्य में बीपीओ/केपीओ उद्योग व्यवस्था, राज्य की खरीद नीति के ढांचे के अन्तर्गत प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया के आधार पर सरकारी बीपीओ/केपीओ व्यवसाय (जैसे ही यह आता है) को पुरस्कृत करते समय वरीयता दी जाएगी।

झ. डाटा सेंटर और डाटा सेंटर पार्क

- एक. सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटाइजेशन के बढ़ते उपयोग के साथ, डेटा भंडारण की मांग आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रही है। यह डेटा केंद्रों की मांग पैदा कर रहा है, जिसके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण में लगभग 24 डिग्री के तापमान पर परिचालन की आवश्यकता होती है। उत्तराखण्ड अपने ठंडे वातावरण के साथ, विशेष रूप से पहाड़ियों और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में उपयुक्त कनेक्टिविटी द्वारा समर्थित – भौतिक और आईटी कनेक्टिविटी दोनों, डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान है।

✓

अध्याय 4 – प्रोत्साहन

क. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन

वित्तीय प्रोत्साहन

एक. राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रस्ताव नीचे दिया गया है। नीचे दी गई तालिका में भी दिखाया गया है कि “नए उद्योग” और “विस्तार उद्योग” (मौजूदा उद्योग अपनी वास्तविक क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत क्षमता विस्तार कर रहा है) के लिए इन प्रोत्साहनों की प्रयोज्यता है। यदि आईटी सेक्टर में कोई मौजूदा कंपनी नहीं है, व आईटी उद्यम स्थापित करता है, या मौजूदा आईटी कंपनी इस क्षेत्र में व्यवसाय की एक नई लाइन स्थापित करती है, तो इसे इस नीति के अनुसार ‘नया उद्योग’ माना जाएगा।

दो. क्षेत्रों का विभाजन: उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के वर्गीकरण को उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति 2015 के अनुसार परिभाषित किया गया है, जहां राज्य को प्रोत्साहन/सब्सिडी के क्वांटम के उद्देश्य से श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह वर्गीकरण आईटी नीति 2018 और इसके बाद के संशोधन या पुनरीक्षण पर लागू होगा।

क्रमांक	प्रोत्साहन के प्रकार	नई	विस्तार
			(31 जनवरी 2015 से पूर्व स्थापित उद्यम विस्तार /आधुनिकीकरण/विकासीकरण (निश्चित पूंजीगत निवेश पर 25 प्रतिशत से अधिक के अतिरिक्त) प्रक्रिया से गुजर रहे हैं

एमएसएम नीति 2015

1	फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट पर निवेश संवर्धन सहायता (पूंजीगत सब्सिडी)	✓	✓
2	बैंक ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	✓	✓
3	तैयार उत्पाद की बी 2सी बिक्री पर आईटीसी के समायोजन के बाद एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति	✓	✓
4	स्टाम्प छूटी छूट	✓	✓
5	बिजली उपभोग विधेयक की प्रतिपूर्ति	✓	✓
6	विशेष राज्य परिवहन सब्सिडी	✓	✓
7	आईटी और आईटीईएस के लिए इंटरनेट उपयोग की प्रतिपूर्ति	✓	✓



क्रमांक

प्रोत्साहन के प्रकार

नई

विस्तार

(उत्पादन शुल्क होने से 5 साल के भीतर
विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार
करना)

मेगा औद्योगिक और निवेश नीति 2015

1	मेगा औद्योगिक भूमि लागत पर छूट	v	v
2	बैंक ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	v	v
3	तैयार उत्पाद की बी2सी बिक्री पर आईटीसी के समायोजन के बाद एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति	v	v
4	स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति	v	v
5	पावर बिल की प्रतिपूर्ति	v	v
6	भूमि पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति	v	v
7	पेरोल सहायता	v	v
8	एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) सब्सिडी	v	v

तीन. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग के लिए प्रस्तावित विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों का विवरण नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध है:

एमएसएमई नीति 2015 के अनुसार प्रोत्साहन					
क्रमांक	सभिसडी	श्रेणी ए	श्रेणी बी	श्रेणी सी	श्रेणी डी
1	सभिसडी श्रेणी एक फिर्स्ट कैपिटल इनवेस्टमेंट पर निवेश संवर्धन सहायता (पूँजीगत सभिसडी)	40% (अधिकतम 40 लाख रुपये तक)	35% (अधिकतम 35 लाख रुपये तक)	30% (अधिकतम 30 लाख रुपये तक)	15% (अधिकतम 15 लाख रुपये तक)
2	बैंक ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	अधिकतम 10 % रु 8 लाख / वर्ष / इकाई	08% अधिकतम रु 06 लाख / वर्ष / इकाई	06% अधिकतम रु 04 लाख / वर्ष / इकाई	05% अधिकतम रु 03 लाख / वर्ष / इकाई
3	तैयार उत्पाद की बी 2 सी बिक्री पर आईटीसी के समायोजन के बाद एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति	पहले 5 साल के लिए 100% एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति और इसके बाद 90%	पहले 5 साल के लिए 100% एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति और उसके बाद 75%	शून्य	शून्य
4	स्टाम्प शुल्क छूट	100% छूट	100% छूट	100% छूट	50% छूट
5	बिजली उपभोग विधेयक की प्रतिपूर्ति	यदि स्वीकृत लोड 100 केवीए तक है: 100 % 5 साल और उसके बाद 75% ; यदि लोड > 100 केवीए: 60%	यदि स्वीकृत लोड 100 केवीए तक है: 100 % 5 साल और उसके बाद 60% ; यदि लोड > 100 केवीए: 50%	शून्य	शून्य
6	विशेष राज्य परिवहन सभिसडी	कच्चे माल / तैयार उत्पादों के परिवहन पर वार्षिक टर्नओवर या वास्तविक व्यय का 7% जो भी कम हो	कच्चे माल / तैयार उत्पादों के परिवहन पर वार्षिक टर्नओवर या वास्तविक व्यय का 5% जो भी कम हो	शून्य	शून्य
7	आईटी और आईटीईएस के लिए इंटरनेट उपयोग की प्रतिपूर्ति	इंटरनेट उपयोग शुल्क पर 50% प्रतिपूर्ति	इंटरनेट उपयोग शुल्क पर 50% प्रतिपूर्ति	इंटरनेट उपयोग शुल्क पर 50% प्रतिपूर्ति	इंटरनेट उपयोग शुल्क पर 50% प्रतिपूर्ति

मेंगा औद्योगिक और निवेश नीति 2015 के अनुसार प्रोत्साहन				
क्रमांक	सबिसडी	बड़ा	मेंगा	अल्ट्रा मेंगा
1	भूमि लागत पर छूट	SIIDCUL की मौजूदा भूमि दरों पर 15% भूमि लागत पर छूट	SIIDCUL की मौजूदा भूमि दरों पर 25% भूमि लागत पर छूट	SIIDCUL की मौजूदा भूमि दरों पर 30% भूमि लागत पर छूट
2	बैंक ऋण पर व्याज की प्रतिपूर्ति	07% अधिकतम रु 25 लाख	07% अधिकतम रु 35 लाख	07% अधिकतम रु 50 लाख
3	तैयार उत्पादों (बी 2 सी) की बिक्री पर आईटीसी के समायोजन के बाद एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति	तैयार उत्पादों (बी 2 सी) की बिक्री पर इनपुट कर क्रेडिट के समायोजन के बाद एसजीएसटी की 30% प्रतिपूर्ति	तैयार उत्पादों (बी 2 सी) की बिक्री पर इनपुट कर क्रेडिट के समायोजन के बाद एसजीएसटी की 50% प्रतिपूर्ति	तैयार उत्पादों (बी 2 सी) की बिक्री पर इनपुट कर क्रेडिट के समायोजन के बाद एसजीएसटी की 50% प्रतिपूर्ति
4	स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति	जरीन पर खरीद / लीज डीड के पंजीकरण पर 50% स्टाम्प ड्यूटी		
5	पावर बिल की प्रतिपूर्ति	विजली बिल पर 1/- प्रति यूनिट की प्रतिपूर्ति और 7 साल के लिए इलेक्ट्रिक ड्यूटी पर 100% प्रतिपूर्ति		
6	भूमि पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति	भूमि पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति @ 1/- प्रति 1000/-		
7	पेशेल सहायता	रु.500 प्रति माह प्रति पुरुष कर्मचारी तथा रु.700 प्रति माह प्रति महिला, आर्थिक कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो अधिकतम रु.15000 व उससे कम वेतन का आहरण कर रहे हैं, कर्मचारी संख्याबल के अधीन हैं तथा 10 साल के लिए 25 प्रत्यक्ष कर्मचारियों की निर्दिष्ट दहलीज से अधिक नहीं है।		
8	एफलुरेंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) सबिसडी	ईटीपी के लिए, अधिकतम 50 लाख रुपये तक 30% पूंजी सबिसडी		

आईटी विभाग द्वारा अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन					
क्रमांक	सबिसडी	श्रेणी ए	श्रेणी बी	श्रेणी सी	श्रेणी डी
1	लीज/रेंटल स्पेस पर छूट	एमएसएमई आईटी / आईटीईएस इकाइयों के लिए जगह के लिए 25% लीज/किराए पर शुल्क की प्रतिपूर्ति और आईटी शहरों/आईटी पार्क या किसी भी अधिसूचित स्थान में लीज/किराए पर	एमएसएमई आईटी / आईटीईएस इकाइयों के लिए जगह के लिए 25% लीज/किराए पर शुल्क की प्रतिपूर्ति और आईटी शहरों/आईटी पार्क या किसी भी		

आईटी विभाग द्वारा अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन					
क्रमांक	सब्सिडी	श्रेणी ए	श्रेणी बी	श्रेणी सी	श्रेणी डी
		स्थान से संचालित राज्य में स्थापित इनक्यूबेटर, एमएसएमई आईटी/आईटीईएस इकाइयों के लिए 3 साल की अवधि व इनक्यूबेटर के लिए 5 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के पात्र होंगे। वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तारीख से।		अधिसूचित स्थान में लीजड/किराए पर स्थान से संचालित राज्य में स्थापित इनक्यूबेटर, एमएसएमई आईटी/आईटीईएस इकाइयों के लिए 3 साल की अवधि व इनक्यूबेटर के लिए 5 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के पात्र होंगे। वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तारीख से।	
2	ग्रामीण बीपीओ के लिए सब्सिडी	जो बीपीओ आई बी पी एस (इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम—एमआईटीवाई) के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, प्रति बीपीओ प्रति 1.0 लाख रुपये तक अतिरिक्त एक बार प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे। उपरोक्त प्रोत्साहन दो किस्तों में जारी किया जायेगा। 50 प्रतिशत प्रोत्साहन परिचालन शुरू होने के बाद जारी किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत प्रोत्साहन परिचालन शुरू होने के एक वर्ष बाद जारी किया जाएगा।		जो बीपीओ आई बी पी एस (इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम—एमआईटीवाई) के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, को प्रति सीट प्रति बीपीओ प्रति वर्ष 25 हजार रुपये 02 क्रमागत वर्षों में प्राप्त करने के पात्र होंगे। प्रथम प्रोत्साहन परिचालन शुरू होने के बाद जारी किया जाएगा और द्वितीय प्रोत्साहन परिचालन शुरू होने के एक वर्ष बाद जारी किया जाएगा।	
3	महिला कर्मचारियों के साथ बीपीओ के लिए सब्सिडी	बीपीओ जो उपरोक्त प्रोत्साहन के अलावा आईबीपीएस (इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम—MietY) के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, उन्हें अधिकतम वर्ष के लिए महिलाओं द्वारा नियोजित कुल सीट का 50: तक पट्टा किराया पर प्रतिपूर्ति के रूप में प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र है। पहले 3 वर्षों के लिए निरंतर आधार पर 50000 रुपये की सीमा के तहत।		बीपीओ जो उपरोक्त प्रोत्साहन के अलावा आईबीपीएस (इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम—MietY) के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, उन्हें अधिकतम वर्ष के लिए महिलाओं द्वारा नियोजित कुल सीट का 50 प्रतिशत तक पट्टा किराया पर प्रतिपूर्ति के रूप में प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र है। पहले	

✓

आईटी विभाग द्वारा अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन					
क्रमांक	सभिसडी	श्रेणी ए	श्रेणी बी	श्रेणी सी	श्रेणी डी
				3 वर्षों के लिए निरंतर आधार पर 30000 रुपये की सीमा के तहत।	
4	निवेश सभिसडी (सहिला उद्यमियों द्वारा स्थापित आईटी इकाइयों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन)	उद्योग विभाग की MSME Policy के अनुसार			
5	स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन	उद्योग विभाग की Start-up Policy के अनुसार			
6	पेटेंट फाइलिंग लागत प्रतिपूर्ति	सम्मानित पेटेंट पर वास्तविक फाइलिंग लागत का 100% घरेलू पेटेंट के लिए अधिकतम रु 2 लाख और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए रु 5 लाख के अधीन एक बार प्रोत्साहन के रूप में। (केवल उन कंपनियों के लिए जिनके अपने मुख्यालय उत्तराखण्ड में हैं)			

ध्यान दें:

- एमएसएमई और अन्य विवरणों की परिभाषा के लिए, कृपया समय—समय पर संशोधित एमएसएमई नीति 2015 और उसके परिचालन दिशानिर्देशों का संदर्भ लें।
- बड़े, मेगा और अल्ट्रा मेगा और अन्य विवरणों की परिभाषा के लिए, कृपया समय—समय पर संशोधित मेगा औद्योगिक और निवेश नीति 2015 और उसके परिचालन दिशानिर्देशों का संदर्भ लें।
- समग्र नीति में बदलावों के आधार पर प्रोत्साहन परिवर्तन के अधीन होंगे।

यदि कोई उद्यमी या निवेशक निजी भूमि पर आईटी / आईटीईएस इकाई स्थापित करना चाहता है, तो उपर्युक्त तालिका के प्रासंगिक प्रोत्साहन लागू होंगे।

गैर-वित्तीय प्रोत्साहन

राज्य सरकार राज्य में निवेशक अनुकूल वातावरण उत्पन्न करेगी और यह सुनिश्चित करेगी:
(क) राज्य में आईटी उद्योग के लिए भूमि का अधिमानी आवंटन।

- (ख) आईटीडीए बिल्ट—अप स्पेस के साथ आईटी—विशिष्ट आधारभूत संरचना का विकास और रखरखाव करेगा जो विभिन्न स्थानों पर उत्तराखण्ड में आईटी/आईटीईएस कंपनियों को लीज/किराये के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
- (ग) आईटीडीए निजी निरीक्षण/संस्थाओं के साथ उपलब्ध बिल्ट—अप इंफ्रास्ट्रक्चर के पूल का डेटाबेस बनाने के लिए सूचना एकत्र करेगा जो उत्तराखण्ड में आईटी/आईटीईएस कंपनियों को उचित निरीक्षण के बाद पट्टा/किराये के आधार पर पेश करना चाहते हैं।
- (घ) ई—जिला प्रबंधक (ईडीएम)/आईटी विभाग द्वारा मनोनीत कोई अन्य आधिकारिक/नियुक्ति राज्य के प्रत्येक जिले के लिए नोडल अधिकारी होंगे। वह जिला के भीतर आईटी से संबंधित मुद्दों के संकल्प और निगरानी के लिए एकल खिड़की के अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।
- (ङ) आईटी उद्योगों को निरंतर/निर्बाध बिजली आपूर्ति।
- (च) गारंटीकृत निर्बाध 24•7 पावर पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समर्पित अतिरिक्त फीडर ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड ईएमसी दोनों को प्रदान किए जाएंगे।
- (छ) आईटी में उधार को राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में माना जाएगा।
- (ज) आईटी उद्योग स्थानों में स्कूलों, आवास, स्वास्थ्य, मनोरंजन और अवकाश सुविधाओं जैसे उच्च गुणवत्ता वाले सामाजिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के विशेष प्रयास।
- (झ) विभिन्न सरकारी विभागों से आसान मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सक्षम प्रशासन प्रणाली प्रदान करना।
- (ञ) ईएसडीएम इकाइयों को राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों और नियमों से निरीक्षण/प्रमाणन से मुक्त किया जाएगा। विभाग द्वारा श्रम कानूनों का कोई भी प्रशासन उद्योग के हितधारकों के साथ पूर्व परामर्श में होना चाहिए।
- (ट) आईटी और आईटीईएस कंपनियों को सभी तीन शिफ्टों में महिलाओं के 24 x 7 संचालन और रोजगार के लिए अनुमति (प्रत्येक 8 घंटे के तीन शिफ्टों में चलाने के लिए)
- (ठ) राज्य में परिचालित आईटी और आईटीईएस इकाइयों को इकाई कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा और वाहन के पर्याप्त प्रावधान के साथ नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों को तैनात करने की अनुमति दी जाएगी।

✓

(ड) आईटीडीए और आईटीडीए के लिए आईटीडीए में हेल्प डेस्क की स्थापना: आईटीडीए आईटी/आईटीईएस इकाइयों के लिए आईटीडीए में एक समर्पित सहायता डेस्क स्थापित किया जाएगा जो नीतियों के संबंध में इकाइयों की मदद करेगा और प्रोत्साहनों का लाभ उठाएगा।

आधारभूत सुविधाओं का समर्थन:

राज्य इन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को लीवरेजिंग से आकर्षित करने का प्रयास करेगा:


- (क) इसकी ताकत: एक शांत, , विपुल और सुरम्य स्थान। राज्य अपनी ताकत का लाभ उठाकर इन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को आकर्षित करने का प्रयास करेगा: एक शांत और सुरम्य लोकेल, प्रचुर मात्रा में पानी, प्रतिस्पर्धी अचल संपत्ति की कीमतें, योग्य मानव संसाधन, कुशल आईटी कार्यबल, सक्रिय प्रशासन और वायु, रेल, सड़क और सुधार के लिए आधारभूत संरचना विकसित करना। दूरसंचार कनेक्टिविटी।
- (ख) उत्तराखण्ड राष्ट्रीय राजधानी से वायु, रेल और सड़क परिवहन के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है जिसमें दो कार्यात्मक हवाई अड्डे (देहरादून और पंत नगर), नौ प्रमुख रेलवे स्टेशन और 20 बस स्टेशन हैं।
- (ग) उत्तराखण्ड में उत्तराखण्ड में हरिद्वार, पंत नगर, देहरादून इत्यादि जैसे उत्तराखण्ड में विभिन्न अच्छी तरह से पहुंचने योग्य स्थानों पर अच्छी तरह से विकसित एकीकृत औद्योगिक एस्टेट (आईआईई), आईटी पार्क और विकास केंद्र भी हैं। देहरादून में मौजूदा आईटी पार्क के अलावा, राज्य सरकार की स्थापना राम नगर & पंत नगर में अतिरिक्त आईटी पार्क। इसके अलावा, राज्य के सभी प्रमुख शहरों में आईटी हब्स स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।
- (घ) सरकार आक्रामक रूप से योजनाबद्ध दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में संभावित निवेशकों की पहचान करेगी और उत्तराखण्ड के मूल्य प्रस्ताव को उनके कारोबार के विशिष्ट संदर्भ में पेश करेगी।
- (ङ) सरकार आईटी शिक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करके उत्तराखण्ड को ज्ञान उद्योग को आकर्षित करने का प्रयास करेगी।
- (च) सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एक नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए सभी मंजूरी शीर्ष प्राथमिकता पर दी जाएगी।

- (छ) उत्तराखण्ड में स्थापित प्रतिष्ठित संस्थान जैसे आईआईटी रुडकी, आईआईएम काशीपुर, डीआईटी विश्वविद्यालय इत्यादि हैं, राज्य इन संस्थानों को आईटी क्षेत्र और इस क्षेत्र में नवाचार के समर्थन के लिए लाभान्वित करता है।
- (ज) सरकार उद्योग भागीदारी के साथ आईटी पर कार्यशालाओं / संगोष्ठियों का समर्थन करेगी।

अध्याय 5 – निगरानी और निष्पादन

यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी नीति की सफलता पूरी तरह से इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। हालांकि, यह देखा गया है कि सरकारी प्रतिष्ठानों में बदलाव के लिए जबरदस्त प्रतिरोध है। इसलिए, इस इन लक्ष्यों की नियमित आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए। इस नीति के सफल एवं अक्षरशः कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित बिंदु प्रस्तावित हैं:

- क. राज्य की सभी आईटी पहलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में उत्तराखण्ड राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कार्य करेगा।
- ख. आईटी विभाग विभागों में ई-गवर्नेंस की वर्तमान स्थिति की पहचान करने और विभागों के लिए आईटी रोडमैप बनाने के लिए विभागों का बैचमार्किंग करेगा। विभाग का आईटी सेल रोडमैप लागू करेगा।
- ग. विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में, राज्य सरकार एक परियोजना निगरानी इकाई स्थापित करेगी, जो नोडल एजेंसी की देखरेख में स्वतंत्र सॉफ्टवेयर डेवलपर्स / विक्रेताओं / सिस्टम इंटीग्रेटर्स, सरकार के बैंक एंड डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करेगी।
- घ. ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद, विभागीय प्रमुख प्रोजेक्ट से सम्बंधित प्राप्त ज्ञान एवं सुझावों पर एक पूरी रिपोर्ट जमा करेंगे।
- ड. किसी भी पहल की स्वीकृति के स्तर का आकलन करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण किया जाएगा। यह रणनीति विकल्पों और कार्यान्वयन में पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता को इंगित करने वाले अलर्ट के आधार पर होगी।
- च. सरकार सेवा वितरण के नए रूपों के माध्यम से उनमे आने वाले मूल्य / बचत की जांच करेगी और यह प्रयास करेंगे की यह बचत किस प्रकार से अंतिम उपभोगताओं तक पहुंचाई जा सके।
- छ. ऑनलाइन व्यवहरण के लिए सामुदायिक मीडिया प्रचार और विशेष प्रोत्साहनों के माध्यम से, सरकार वास्तव में आईटी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।



(आर०क० सुधांशु)
सचिव

परिशिष्ट क

इंडस्ट्रीज की श्रेणियां आईटी / आईटीईएस उद्योग के दायरे / परिभाषा में शामिल हैं

1. कंप्यूटिंग डिवाइस सहित:

क	डेस्कटॉप
ख	पर्सनल कंप्यूटर
ग	सर्वर
घ	कार्य-स्टेशन
ड	नोड्स
च	टर्मिनल
छ	नेटवर्क पी.सी.
ज	होम पी.सी.
झ	लैप-टॉप कंप्यूटर
अ	नोट बुक कंप्यूटर
ट	पाम टॉप कंप्यूटर / पीडीए

2. नेटवर्क नियंत्रक कार्ड / मेमोरी सहित:

क	नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड (एनआईसी)
ख	एडाप्टर - ईथरनेट / पीसीआई / ईआईएसए / कॉम्बो / पीसीएमआईसीए
ग	सिम - मेमोरी
घ	डीआईएमएम - मेमोरी
ड	केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू)
च	नियंत्रक - एससीएसआई / ऐरे
छ	प्रोसेसर - प्रोसेसर / प्रोसेसर पावर मॉड्यूल / अपग्रेड

3. भंडारण इकाइयों सहित:

क	हार्ड डिस्क ड्राइव / हार्ड ड्राइव
ख	RAID डिवाइस और उनके नियंत्रक
ग	C-D- रॉम ड्राइव
घ	टेप ड्राइव - डीएलटी ड्राइव / डीएटी
ड	ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव
च	अन्य डिजिटल स्टोरेज डिवाइस

4. अन्य: कुंजी बोर्ड, मॉनीटर, माउस और मल्टी-मीडिया किट

5. प्रिंटर और आउटपुट डिवाइस सहित:

क	डॉट मैट्रिक्स
ख	लेजर
ग	इक्जेट
घ	डेस्कजेट
ड	एलईडी प्रिंटर
च	लाइन प्रिंटर

✓

छ एलईडी टीवी
ज प्लॉटर्स
झ पास बुक प्रिंटर

6. नेटवर्किंग उत्पादों सहित:

क राउटर्स
ख स्विच
ग कॉन्सेन्ट्रेटर्स
घ ड्राइंस रिसीवर

7. सॉफ्टवेयर सहित:

क आवेदन सॉफ्टवेयर
ख ऑपरेटिंग सिस्टम
ग मिडलवेयर / फर्मवेयर
घ एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर

8. कंप्यूटर सिस्टम को बिजली की आपूर्ति सहित:

क स्विच मोड बिजली की आपूर्ति
ख निर्बाध बिजली की आपूर्ति

9. नेटवर्किंग / कैबलिंग और संबंधित सहायक उपकरण (आईटी उद्योग से संबंधित)

क फाइबर केबल
ख कॉपर केबल
ग केबल्स
घ कनेक्टर, टर्मिनल ब्लॉक
ड जैक पैनल, पैच कॉर्ड
च मॉउंटिंग कॉर्ड / वायरिंग ब्लॉक
छ सरफेस माउंट बॉक्स

10. उपभोग्य सामग्रियों सहित:

क C-D- रॉम / कॉम्पैक्ट डिस्क
ख टेप डीएटी / डीएलटी
ग रिबन
घ टोनर्स
ड इंकजेट कार्ट्रिज
च आउटपुट उपकरणों के लिए इंक

11. इलेक्ट्रॉनिक अवयव:

क मुद्रित सर्किट बोर्ड / पॉपुलेटेड पीसीबी
ख मुद्रित सर्किट बोर्ड / पीसीबी
ग ट्रांजिस्टर
घ एकीकृत सर्किट / आईसीएस
ड डायोड / थिरिस्टर / एलईडी
च रेसीस्टोर्स
छ कैपिसिटर



ज	स्विच / (चालू/ बंद, पुश बटन, रॉकर, आदि)
झ	प्लग/ सॉकेट/ रिले
अ	चुंबकीय हैड , प्रिंट हैड
ट	कनेक्टर्स
ठ	माइक्रोफोन / स्पीकर्स
ड	फ्यूज
ड़	इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले
ण	माइक्रो मोटर्स
त	ट्रांसफॉर्मर
थ	प्रमुख आईओटी घटक जैसे – सेंसर, ट्रांसड्यूसर और एक्ट्यूएटर
द	बायो-मेट्रिक सिस्टम, आरएफआईडी, इत्यादि।
ध	एलईडी लाइट

12. दूरसंचार उपकरण में :

क	टेलीफोन
ख	वीडिओफोन्स
ग	फैक्सीमाइल मशीन्स / फैक्स कार्ड
घ	टेली-प्रिंटर/ टेलेक्स मशीन
ड	पीएबीएक्स / ईपीएबीएक्स / आरएक्स / मैक्स – टेलीफोन एक्सचेंज
च	मल्टीप्लेक्सर्स / मुक्सेस
छ	मोडेम
ज	टेलीफोन आंसरिंग मशीन्स
झ	दूरसंचार स्विचिंग उपकरण
ञ	एंटीना और मस्त
ट	वायरलेस डाटाकॉम उपकरण
ठ	रिसीविंग उपकरण जैसे – पेजर्स, मोबाइल / सेलुलर फोन इत्यादि।
ड़	वीसेट
ड़	वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग उपकरण
ण	वीडियो और डिजिटल सिग्नलिंग के लिए सेट टॉप बॉक्स
त	मोबाइल फोन और उसके सहायक उपकरण

13. आईटी सक्षम सेवाएँ:

- क आईटी सक्षम सेवाएं व्यावसायिक प्रक्रियाएं और सेवाएं हैं, जिनमें से अंतिम उत्पाद / सेवाएं हैं:
 एक भारत के बाहर वितरित
 दो संचार नेटवर्क पर वितरित, और
 तीन या तो बाहरी रूप से अनुबंधित (आउट सोर्स) या एक ही कंपनी (आउट-स्थित) की
 रिमोट सहायक द्वारा प्रदान की जाती है।
- ख सेवाएं जो शामिल नहीं होंगी वे हैं:
 एक रिमोट उत्पादन / विनिर्माण इकाइयां
 दो कंपनियों या उनकी स्थानीय शाखाओं के कॉर्पोरेट कार्यालय
 तीन इंटरनेट पर वर्चुअल बिजनेस।
- ग उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाली निम्नलिखित सेवाओं में शामिल किया जाएगा:

✓

एक बैंक ऑफिस ऑपरेशंस
 दो कॉल सेंटर/बीपीओ/केपीओ
 तीन सामग्री विकास या एनिमेशन
 चार डेटा प्रोसेसिंग
 पांच इंजीनियरिंग और डिजाइन
 छह भौगोलिक सूचना प्रणाली सेवाएं
 सात मानव संसाधन सेवाएं
 आठ बीमा दावा प्रसंस्करण
 नौ कानूनी डेटाबेस
 दस मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन
 ग्यारह पेरोल
 बारह रिमोट रखरखाव
 तेरह राजस्व लेखा
 चौदह केंद्रों का समर्थन करता है और
 पन्द्रह वेब साइट सेवाएं।

14. स्टार्टअप:

एक इकाई को भारत सरकार अधिसूचना संख्या G-S-R- 501 (ई) दिनांक 23 मई, 2017 (और माना जाएगा।

संकेताक्षर की सूची

- आईटी और ई – सूचना प्रौद्योगिकी
- ईएसडीएम – इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण
- मीटवाई, भारत सरकार – इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार
- एनजीडी – राष्ट्रीय ई-शासन विभाग
- एम-एसआईपीएस – संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना
- टीएसएससी – दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद
- एनएसडीसी – राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
- एनआईईएलआईटीआईटी – नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
- स्टार – मानक प्रशिक्षण आकलन और पुरस्कार
- ईएमसी – इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर

- जी डी पी – सकल घरेलू उत्पाद
- आईपीआर – बौद्धिक संपदा अधिकार
- बीपीओ / केपीओ – बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग / नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग
- आईबीपीएस – भारतीय बीपीओ प्रमोशन स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- एमएमपी – मिशन मोड प्रोजेक्ट्स
- ईआरपी – उद्यम संसाधन योजना
- एसटीक्यूसी – मानकीकृत परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन
- एचआरएमएस – मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
- सीएससी – आम सेवा केंद्र
- एसडीसी – राज्य डाटा सेंटर
- स्वान – राज्य वाइड एरिया नेटवर्क
- एनओएफएन – नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क
- एसटीईपी – ई-गवर्नेंस मॉड्यूल में विशिष्ट प्रशिक्षण
- आईटीडीए – सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी
- सीएमटी – राज्य ई-शासन मिशन टीम
- ईडीएम – ई-जिला प्रबंधक
- एमएसएमई – माइक्रो, लघु, मध्यम उद्यम

टिप्पणी – सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं एलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2016 –2025 (उत्तराखण्ड राज्य) एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।

